छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याणसिंह भवन–रायपुर

//संशोधन आदेश//

रायपुर,दिनांक 12-9-05

क्रमांक एफ 5–22/2005/20 :: राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय ज्ञाप क्रमांक 3698/2521 20/05, दिनांक 3.09.2005 द्वारा पांच बी.टी.आई. महासमुंद, नगरी, जांजगीर–चांपा, जशपुर एवं कांकेर को डाईट में उन्नयन एवं चार नवीन डाईट कबीरधाम, दक्षिण बस्तर, कोरबा एवं कोरिया में खोलने हेतु अस्थायी पद स्वीकृति संबंधी आदेश किये गये थे, इसमें से बी.टी.आई. जशपुर एवं कांकेर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के अधीन है, अतः इनके उन्नयन का आदेश स्कूल शिक्षा विभाग नहीं बल्कि अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग द्वारा जारी किया जाना है । स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इनके उन्नयन का आदेश त्रुटिवश जारी हुआ था । अतः उक्त आदेश निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:–

स.क्र.	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या
1	प्राचार्य	10000–15200	7
2	उप प्राचार्य	8000–13500	7
3	व्याख्याता	5500–9000	105
4	सहायक प्रोग्रामर	5000–8000	7
5	छात्रावास अधीक्षक	5000–8000	7
6	सहायक ग्रन्थपाल	4500–7000	7
7	सहायक ग्रेड–1	4500–7000	7
8	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	4500–7000	7
9	सहायक ग्रेड–2	4000–6000	14
10	सहायक शिक्षक विज्ञान	4000–6000	14
11	डाटा इन्ट्री आपरेटर	3500–5200	7
12	सहायक ग्रेड–3	3050–4590	42
13	भृत्य (आकस्मिक निधि)	कलेक्टर दर	28
14	चौकीदार (आकस्मिक निधि)	कलेक्टर दर	14
		कुल	273

2/– पदों का संख्यावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	पदनाम	वेतनमान	संस्था का नाम							कुल
			महासमुंद	नगरी	कांकेर	कबीरधाम	दक्षिण बस्तर	कोरबा	कोरिया	
1	प्राचार्य	10000–15200	1	1	1	1	1	1	1	[illegible]
2	उप प्राचार्य	8000–13500	1	1	1	1	1	1	1	[illegible]
3	व्याख्याता	5500–9000	15	15	15	15	15	15	15	105

4	सहायक प्रोग्रामर	5000–8000	1	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]
5	छात्रावास अधीक्षक	5000–8000	1	1	1	1	1	1	1	7
6	सहायक ग्रन्थपाल	4500–8000	1	1	1	1	1	1	1	7
7	सहायक ग्रेड–1	4500–8000	1	1	1	1	1	1	1	7
8	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	4500–8000	1	1	1	1	1	1	1	7
9	सहायक ग्रेड–2	4000–6000	2	2	2	2	2	2	2	14
10	सहायक शिक्षक विज्ञान	4000–6000	2	2	2	2	2	2	2	14
11	डाटा इन्ट्री आपरेटर	3500–5200	1	1	1	1	1	1	1	7
12	सहायक ग्रेड–3	3050–4590	6	6	6	6	6	6	6	42
13	भृत्य(आक.निधि)	कलेक्टर दर	4	4	4	4	4	4	4	28
14	चौकीदार (आक.निधि.)	कलेक्टर दर	2	2	2	2	2	2	2	14
	कुल		39	39	39	39	39	39	39	273

3/– पद संरचना आदेश में निम्नानुसार शर्तें रहेगी:–

1. सभी ", अस्थायी होंगे ।
2. चतुर्थ श्रेणी के के ः पी पद आकस्मिकता (कलेक्टर दर) के पद सहित सीधी भरती से नहीं भरे जावेंगे । पद अतिशेष कर्मचारियों से ही भरे जावेंगे ।

4/– इन पदों को भरने हेतु वित्त विभाग से अलग से सहमति प्राप्त की जानी है । इस संस्थाओं की पद स्वीकृति के समस्त पूर्व आदेश निरस्त माने जावेंगे ।

5/– उपरोक्त व्यय मांग संख्या 27, स्कूल शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (01) प्राथमिक शिक्षा (107) शिक्षकों का प्रशिक्षण 0101 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 1502 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए आयोजना के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

6/– यह स्वीकृति वित्त विभाग के यूओ.न. 435/123/बजट-3/05 दिनांक 1.9.2005 के द्वारा प्रदान की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.पी. [illegible])
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

15-

रायपुर,दिनांक 12-9-05

पृ.क. एफ 5–22 / 2005 / 20

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय–रायपुर,
2. महालेखाकर, छ.ग.रायपुर,
3. सचिव छ.ग. शासन अनु.जाति अनु.जन जाति विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित आपके विभाग से संबंधित बी.टी.आई / डाईट उन्नयन के पदों का आदेश जारी करने का कष्ट करें ।
4. आयुक्त आनु.जाति अनु.जन जाति विभाग
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग.रायपुर,
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़
7. कलेक्टर, जिला...
8. प्राचार्य, डाईट..
9. प्राचार्य, बी.टी.आई...

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

17

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मन्त्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर
===0===

क्रमांक एफ 7—15/2010/20—एक रायपुर, दिनांक 12/5/10

प्रति,

संचालक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
छत्तीसगढ़, रायपुर ।

विषय :— राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं अधीनस्थ संस्थाओं में स्वीकृत पदों में संशोधन/उन्नयन बाबत्।

——00——

राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य के सभी 16 डाईट के व्याख्याताओं के वर्तमान भिन्न—भिन्न संरचना को समाप्त करते हुए सभी डाईट के लिये निम्नानुसार एक समान पद संरचना स्वीकृत की जाती है:—

क्र0	पदनाम	वेतन बैंड एवं ग्रेड पे	पदों की संख्या
1.	वरिष्ठ व्याख्याता	15600—39100+5400	05
2.	व्याख्याता	9300—34800+4300	12

उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप व्याख्याता के कुल 49 पद समर्पित होंगे।

2/ आंग्लभाषा के संदर्भ में अन्य राज्यों में क्या स्थिति है कि जानकारी उपलब्ध करावें।

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू0ओ0क्रमांक 181/25193/वित्त विभाग/ब—3/2010, दिनांक 3.05.2010 द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विलियम कुजूर)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक 4310
दिनांक 18.5.10

18.5.10

25

joshi 208

//2//

पृ0क्रमांक एफ 7–15/2010/20–एक

प्रतिलिपि:–

रायपुर, दिनांक ....

1. निज सहायक, मान0 मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर
2. सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर,
3. सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर
5. कोषालय अधिकारी जिला कोषालय रायपुर।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

क्रमांक एफ 7-15/20-एक/2010 रायपुर दिनांक

प्रति,

संचालक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
छत्तीसगढ़ रायपुर

विषय :- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं अधीनस्थ संस्थाओं के लिए स्वीकृत पदों में संशोधन विषयक।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/स्थापना/डाइट/सेटअप/2012-13/2303 रायपुर दिनांक 27.06.2012।

---0---

राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत (डाइट) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में वरिष्ठ व्याख्याता के स्थान पर सहायक प्राध्यापक पदनाम में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान करता है।

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 313/1001046/वित्त विभाग/ब-3/2012 दिनांक 23.07.2012 द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम. एन. राजूरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 7-15/20-एक/2010 रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर छ.ग.
2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर छ.ग.
3. सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर छ.ग.
4. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर छ.ग.
5. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छ.ग. रायपुर
6. कोषालय अधिकारी जिला कोषालय रायपुर छ.ग.

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग